# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 121 / 2020
आरसीएमएस नं.:—2020 / 00121

जीत सिह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. सुनील कुमार } पुत्र हरदयाल जाति बिश्नोई निवासी 4 के आर 4 केआरडब्ल्यू
2. सेठी } ढाणी अमरगढ तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्वर्ण सिंह पुत्र जीत सिंह
4. कुलदीप सिंह पुत्र अमर सिंह
5. जसविन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह
6. महेन्द्र सिह पुत्र करतार सिंह
7. जस्सी पुत्र दरबार सिह
8. जगसीर सिंह पुत्र गुरजंट सिह
9. साधु सिह पुत्र सुरजीत सिंह
10. दर्शन सिह पुत्र सुरजीत सिंह
11. गुरमेल सिंह पुत्र सुरजीत सिह
12. हरगोविन्द सिंह पुत्र मोहर सिंह

(3 से 12) } जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

13. बलकरण सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी नंदवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
14. सीबो पुत्री मोहर सिह पत्नी बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
15. परमजीत कौर पत्नी सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
16. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर
दनांक 12.06.2019 प्र. सं. 42/2019 (118/2014)
अनवान सुनील कुमार आदि बनाम जीत सिंह आदि

श्री औम प्रकाश मोदी, अभिभाषक अपीलाण्ट
रेस्पो0 सं0 1 व 2 स्वयं उपस्थित
श्री मनोज कुमार अरोड़ा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता 15
श्री खुशकरण सिंह, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांक 16. XI. 22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन कियाकि उसका रकबा चक 4 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 123/131, प. नं. 99/127, मु. नं. 32 में कुल 1.518 है0 कृषि भूमि है। जिसमें आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। वह मु. नं. 32 के किला नं. 23/1, 24, 25 अप्रार्थीयान की भूमि में से आवागमन करता है। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपील पेश होने पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया, राजीनामा तस्दीक किया गया। उभयपक्ष ने राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.06.2019 के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया था जिसमें अपीलाण्ट की भूमि के 2 टुकड़े होते है। इसलिए पक्षकारान में राजीनामा करके यह तय किया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया रास्ता निरस्त करके उस के स्थान पर चक 4 केआरडब्ल्यू के प. नं. 99/128 के किला नं. 13 में 3/4 व किला नं. 14 व 15 में 1–1/2, 1–1/2 बिस्वा दक्षिण दिशा में पूर्व से पशचिम स्वीकृत किया जावे। रास्ते में गई भमि के बदले राशि अदा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करने का आदेश यथावत रखे जाने हेतु सहमत है। अपीलण्ट एवं रेस्पोडेण्ट भूमि का तबादला भी करना चाहते हैं भूमि का तबादला करने से अपीलण्ट की भूमि के टुकड़े नहीं होंगे एवं रेस्पेडेण्ट संख्या 1 व 2 को अपनी भूमिं जाने के लिए रास्ता भी उपलब्ध हो जायेगा। दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं होगा। अपीलाण्ट अपनी भूमि में से प. नं. 99/128 किला नं. 3, 8, 13 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा व प. नं. 99/127 के किला नं. 23 में आधा बिस्वा कुल 3–1/2 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को तबादला में देकर उसके बदले में रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 से उनके नाम दर्ज भूमि प. नं. 99/127 के किला नं. 8–13–18 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा व किला नं. 23 में आधा बिस्वा कुल 3–1/2 बिस्वा भूमि तबादला में प्राप्त करने हेतु सहमत है।

5. अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का निर्णय दिनांक 12.06.2019 द्वारा रास्ता स्वीकृत करने की हद तक निरस्त किया जाता है एवं चक 4 केआरडब्ल्यू के प. नं. 99/128 के किला नं. 13 में 3/4 बिस्वा व किला नं. 14 व 15 में 1–1/2, 1–1/2 बिस्वा दक्षिण दिशा में पूर्व से पशचिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा रास्ते में गई भूमि के बदले में राशि अदा करने का आदेश यथावत रखा जाता है, तथा अपीलाण्ट की भूमि में से प. नं. 99/128 किला नं. 3, 8, 13 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा व प. नं. 99/127 के किला नं. 23 में आधा बिस्वा कुल 3–1/2 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को तबादला में दिये जाने के आदेश दिये जाते है, उसके बदले में रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 से उनके नाम दर्ज भूमि प. नं. 99/127 के किला नं. 8–13–18 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा व किला नं. 23 में आधा बिस्वा कुल 3–1/2 बिस्वा भूमि तबादला में अपीलाण्ट को दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 16.XI.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/XI/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★